

फर्द अहकाम

मो. उमर बनाम श्रीमती रेहाना खानम वगै०

ख्या: 58/2022 T I

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------	----------------------	-------------

13.2022 वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात पेश किये है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम खोनागोरियान कंला पटवार हल्का खोनागोरियान तह० सांगानेर स्थित नम्बर 3157 रकबा 0.4600 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 11/5/22 को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

11/5/22 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब
बन्द राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/7/22
को पेश हों।

8/7/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का
अस्थित्वमा उपस्थित होकर प्रार्थना
अस्थाई निषेधाज्ञा को खिदा सिरे जाने
का विवेकन सिद्ध प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को
सुना गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
सिद्ध होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
को खिदा सिरे जाने की आशंका प्रार्थना को
जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
स्वीकार की जाती है। पत्रावली प्रस्तुत प्रार्थना
रीफर क्र० 10 केका हैबाद तमनील 8/7/22

8/7/22
Jed by
C